न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –414/ 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/152

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

फर्म कान्हा टी स्टॉल प्रोप्राइटर श्री बद्रीलाल सुमन पुत्र रतनलाल सुमन निवासी इटावा जिला कोटा
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 19 .5.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.2.2026 को विपिन कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इटावा स्थित व्यावसायिक कान्हा टी स्टॉल का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थान पर चाय व नमकीन बनाने के व्यावसायिक कार्य हेतु अवैध रूप से घरेलू रसाई गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग किया जा रहा था । निरीक्षण के समय श्री बद्रीलाल सुमन पुत्र रतनलाल सुमन के कब्जे से कुल 5 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 01 सिलेंडर इंडियन ऑयल कंपनी एवं 04 सिलेंडर एचसीएल कंपनी का होना पाया गया । उक्त सिलेंडरों में भरी हुई एलपीजी का कुल वजन 12 किलोग्राम 700 ग्राम सुनिश्चत किया गया । व्यावसायिक परिसर में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है । मौके पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा उक्त सिलेंडरों के उपयोग हेतु कोई वैध क्रय बिल या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया । उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन जारी राजस्थान लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑँर्डर का दण्डनीय उल्लंघन होने के कारण उक्त सिलेंडरों को मय गैस सामग्री को मौके पर ही कब्जेराज लिया गया । सुरक्षा एवं जनहित की दृष्टि से उक्त जब्तशुदा सामग्री को दिनेश मीणा नीमसरा इंडेन गैस के प्रतिनिधि को सुपुर्दगीनामा के माध्यम से सुपुर्द किया गया ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	HPCL	890434	14.2	15.6	15.9	0.3	घरेलू
2	HPCL	346406	14.2	15.5	21.8	6.3	घरेलू
	HPCL	350953	14.2	15.5	17.8	2.3	घरेलू
	HPCL	185370	14.2	15.7	19.5	3.8	घरेलू
3	IOCL	432611	14.2	15.7	18.5	0.0	घरेलू

अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेंडरों एवं उनमें भरी 12.700 किलोग्राम गैस को राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी रूप से राजसात करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें । चूंकि एलपीजी एक अत्यधिक ज्वलनशील एवं सिस्फोटक सामग्री है । अतः सुरक्षा की दृष्टि से धारा 6ए (2) के तह इनके अंतरिम निपटान के आदेश पारित करने का श्रम करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी चाय की दुकान लगाता है । प्रार्थी के पास मात्र दो सिलेण्डर थे अन्य सिलेण्डर स्वयं मालिकों के थे, प्रार्थी की दुकान के पास गैस की गाडी आकर खडी होती है, इसलिये उक्त सिलेण्डर के मालिक विश्वास के तोर पर प्रार्थी की दुकान में अपने सिलेण्डर खाली रखकर भरवाने के लिये रखकर गये थे तथा गाडी आने पर प्रार्थी द्वारा उनको सूचना देने के लिये कह गये थे । प्रार्थी अपनी दुकान पर कार्य कर रहा था कि अचानक प्रार्थी की दुकान पर जांच अधिकारी आ गये और उपरोक्त अन्य तीन सिलेण्डर को भी प्रार्थी के मानकर जप्त किये गये है जबकि अन्य तीन सिलेण्डर प्रार्थी के नहीं थे, वह अन्य व्यक्तियों के थे जिनके नाम द्वारका पुत्र किशनलाल निवासी इटावा, दिलकुश पुत्र दूधाराम डडवाडा, मनभर भैरूलाल इटावा के थे जिनका जप्त किया गया है । प्रार्थी की दुकान नई है, प्रार्थी को कानून की जानकारी नहीं होने से उक्त त्रुटि हुई है । आयन्दा प्रार्थी उक्त त्रुटि नहीं करेगा ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर अप्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी नहीं की जा रही थी, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित होगा ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 05 गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा